दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य गागलों रों संबंधित सामान्य जानकारी) सोमवार, 17 नवम्बर, 2003 / कार्तिक 26, 1925 (शक)

रांख्या: 277

सदस्यों की नज़र वन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों चौ. प्रेम सिंह एवं श्री वीर सिंह को उनके अन्य समर्थकों के साथ दिनांक 17/11/2003 को अपराह्न 1.03 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत् निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत नज़र बन्द किया गया।

उन्हें उनके समर्थकों सहित उसी दिन अर्थात् दिनांक 17/11/2003 को अपराह्न 1.45 बजे रिहा कर दिया गया ।"

> सिद्धार्थ राव सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Monday 17th November, 2003/ Kartika 26, 1925(Saka)

No.: 277

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Dy. Commissioner of Police. New Delhi Distt., New Delhi: -

"I have the honour to inform you that S/Shri Ch. Prem Singh & Veer Singh. Hon'ble Members of L'egislative Assembly, Delhi alongwith their supporters were detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at 1.03 PM on 17/11/2003.

They along with their supporters were released at 1.45 P.M. on the same day i.e. 17/11/2003."

SIDDHARTH RAO SECRETARY